



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 455]

नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 16, 2010/श्रावण 25, 1932

No. 455]

NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 16, 2010/SHRAVANA 25, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 10 अगस्त, 2010

सा.का.नि. 679(अ).—केंद्रीय सरकार, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) की धारा 18 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह ‘क’ (साधारण ऊँटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2001 को, उन बातों के सिवाय अधिक्रांत करते हुए, जिन्हें ऐसे अधिक्रमण से पूर्व किया गया है या करने का लोप किया गया है, गृह मंत्रालय के अधीन केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में समूह “क” पदों पर भर्ती की पद्धति का विनियमन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती हैं, अर्थात् :—

1. संक्षिप्त नाम और प्रारंभ — (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल समूह “क” (साधारण ऊँटी) अधिकारी भर्ती नियम, 2010 है।

(2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. लागू होना — ये नियम, इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (1) में विनिर्दिष्ट पदों पर लागू होंगे।

3. परिभाषाएं — इन नियमों में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,—

(क) “सरकार” से भारत सरकार अभिप्रेत है;

(ख) “श्रेणी” से काडर की श्रेणी अभिप्रेत है;

(ग) “अनुसूचित जाति” और “अनुसूचित जनजाति” का वही अर्थ है जो संविधान के अनुच्छेद 366 के खंड (24) और खंड (25) में क्रमशः उनका है;

(घ) उन शब्दों और पदों के, जो इसमें प्रयुक्त हैं, किन्तु परिभाषित नहीं किए गए हैं, वही अर्थ होंगे, जो केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955 में उनके हैं।

4. पद-संख्या, वर्गीकरण और वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान — पदों की संख्या, उनका वर्गीकरण और उनके वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/वेतनमान वे होंगे, जो इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची के स्तंभ (2) से स्तंभ (4) में विनिर्दिष्ट हैं।

5. भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं आदि — उक्त पदों पर भर्ती की पद्धति, आयु-सीमा, अर्हताएं और उनसे संबंधित अन्य बातें वे होंगी जो उक्त अनुसूची के स्तंभ (5) से स्तंभ (14) में विनिर्दिष्ट हैं।

**6. ज्येष्ठता** -- (1) उच्चतर रैंक धारण करने वाले सभी अधिकारी, निम्नतर रैंक धारण करने वाले अधिकारियों से ज्येष्ठ होंगे।

(2) किसी विशिष्ट रैंक में किसी पद पर नियुक्त अधिकारियों की ज्येष्ठता, उस पद पर नियुक्ति के लिए चयन के क्रम के अनुसार अवधारित की जाएगी।

(3) उपनियम (2) के उपबंधों के अधीन रहते हुए, समान रैंक धारण करने वाले अधिकारियों की परस्पर ज्येष्ठता केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल स्थायी आदेश सं0 1/2009 तारीख 12 जनवरी, 2009 में अवधारित किए गए अनुसार होगी।

(i) संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों (सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा कोटा) की ज्येष्ठता की गणना नियुक्ति की तारीख से, उस बैच का, जिसमें उनका चयन किया गया है, ध्यान किए बिना, उनके प्रशिक्षण बैच के प्रति निर्देश से की जाएगी और संघ लोक सेवा आयोग के माध्यम से सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों के संबंध में नियुक्ति की तारीख से

साधारणतः प्रशिक्षण के आरंभ की तारीख अभिप्रेत है, जब तक अभ्यर्थी ने विलंब से, परंतु प्रशिक्षण आरंभ होने के तीस दिन के भीतर, रिपोर्ट नहीं की है।

(ii) प्रशिक्षण के बैच के भीतर, चाहे सीधे नियुक्त किए गए या सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से नियुक्त हो, परस्पर ज्येष्ठता, “केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955” के उप नियम (ख) के खंड (ii) के अनुसार, मेरिट के आधार पर अवधारित की जाएगी और मेरिट से, चयन के समय प्राप्त किए गए अंकों और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अकादमी में अंतिम परीक्षा (पासिंग आउट) में प्राप्त किए गए अंकों का योग अभिप्रेत है :

परंतु सीधे नियुक्त किए गए राजपत्रित अधिकारियों और सीधे प्रविष्ट राजपत्रित अधिकारियों की ज्येष्ठता की गणना परिणामों के घोषणा की तारीख से और स्थानीय प्रोन्नति किए गए अधिकारियों की विभागीय प्रोन्नति समिति की, जिनसे उनको पैनलीकृत किया गया था, तारीख से की जाएगी।

(iii) किसी विशिष्ट रैंक में पुनर्नियोजित अधिकारियों की ज्येष्ठता उस रैंक में उनके पुनर्नियोजन की तारीख से अवधारित की जाएगी।

(iv) कोई सेवारत सैनिक अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और अन्य सैनिक अधिकारियों के बीच तथा भारतीय पुलिस सेवा अधिकारी किसी विशिष्ट रैंक के भीतर अपने और भारतीय पुलिस सेवा के अन्य अधिकारियों के बीच अपनी ज्येष्ठता बनाए रखेगा।

**7. नियुक्ति** -- केवल ऐसे अधिकारियों पर, जिन्होंने इन नियमों से उपाबद्ध अनुसूची में यथा विनिर्दिष्ट अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, उस श्रेणी या श्रेणियों में नियुक्ति या प्रोन्नति या प्रतिनियुक्ति के लिए तभी विचार किया जाएगा जब वे केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल महानिदेशालय द्वारा जारी 2008 के स्थायी आदेश सं0 04 तारीख 15 दिसंबर, 2008 के अधीन यथाविनिर्दिष्ट चिकित्सा श्रेणी, शेष-1 में हों।

**8. सेवा करने का दायित्व** -- इन नियमों के अधीन पदों के किसी प्रवर्ग पर नियुक्त कोई व्यक्ति भारत में या विदेश में किसी भी स्थान पर सेवा करने के लिए दायी होगा।

**9. सेवा की अन्य शर्तें** -- केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल अधिनियम, 1949 (1949 का 66) और केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल नियम, 1955, उन व्यक्तियों के संबंध में, जो इन भर्ती नियमों के अधीन नियुक्त किए गए हैं, सेवा की उन शर्तों के संबंध में लागू होंगे, जिनके बारे में इन भर्ती नियमों में विशिष्ट रूप से उपबंध नहीं किए गए हैं।

#### **10. निरहता : वह व्यक्ति--**

- (क) जिसने ऐसे व्यक्ति से जिसका पति या जिसकी पत्नी जीवित हैं, विवाह किया है, या
- (ख) जिसने अपने पति या अपनी पत्नी के जीवित रहते हुए किसी व्यक्ति से विवाह किया है,

उक्त पदों में से किसी पर नियुक्ति का पात्र नहीं होगा :

परन्तु यदि केन्द्रीय सरकार का यह समाधान हो जाता है कि ऐसा विवाह ऐसे व्यक्ति को लागू स्वीय विधि के अधीन अनुज्ञेय है और ऐसा करने के लिए अन्य आधार हैं तो वह किसी व्यक्ति को इस नियम के प्रवर्तन से छूट दे सकेगी ।

**11. अन्य देशीय पात्रता** -- कोई ऐसा व्यक्ति, जो भारत का नागरिक नहीं है, केन्द्रीय सरकार की लिखित जहामति से ही उन नियमों के अधीन नियुक्त या नियोजित किया जाएगा, अन्यथा नहीं :

परन्तु इस नियम की कोई बात, नेपाल, सिक्किम या भूटान की प्रजा की इन नियमों के अधीन नियुक्ति, नामांकन या नियोजन को वर्जित नहीं करेगी ।

**12. अधिवर्षिता** -- (1) उप महानिरीक्षक के पद से ऊपर की पंक्ति का पद धारण किए हुए और उच्चतर अधिकारी, महीने के उस दिन अपराह्न में, जब वह साठ वर्ष की आयु प्राप्त कर लेता है, सेवानिवृत्त होगा और अन्य अधिकारी उस मास के, जिसमें वह सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करते हैं, अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होंगे :

परन्तु यह कि कोई अधिकारी, जिसकी जन्म तिथि मास की पहली तारीख है, साठ वर्ष या सत्तावन वर्ष की आयु प्राप्त करने के पूर्ववर्ती मास के अंतिम दिन के अपराह्न में सेवानिवृत्त होगा ।

**13. शिथिल करने की शक्ति** : जहां केन्द्रीय सरकार की यह राय है कि ऐसा करना आवश्यक या समीचीन है, वहां वह उसके लिए जो कारण हैं उन्हें लेखबद्ध करके, इन नियमों के किसी उपबंध को किसी वर्ग या प्रवर्ग के व्यक्तियों की बाबत, आदेश द्वारा शिथिल कर सकेगी ।

**14. व्यावृत्ति** : इन नियमों की कोई बात, ऐसे आरक्षण, आयु-सीमा में छूट और अन्य रियायतों पर प्रभाव नहीं डालेगी, जिनका केन्द्रीय सरकार द्वारा इस संबंध में समय-समय पर निकाले गए आदेशों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, भूतपूर्व सैनिक और अन्य विशेष प्रवर्ग के व्यक्तियों के लिए उपबंध करना अपेक्षित है ।

### अनुसूची

पद का नाम	पदों की संख्या	वर्गीकरण	वेतन बैंड तथा ग्रेड वेतन/ वेतनमान	चयन पद अथवा अचयन पद	सेवा में जोड़े गए वर्षों का फायदा केन्द्रीय सिविल सेवा (पेंशन) नियम, 1972 के नियम 30 के अधीन अनुज्ञेय है या नहीं
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1. महानिदेशक  * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	1* (2010)  * (कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अनुसूचित	शीर्ष वेतनमान 80,000/- रुपए (नियत)	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए आयु-सीमा	सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए अपेक्षित शैक्षिक और अन्य अर्हताएं
(7)	(8)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

सीधे भर्ती किए जाने वाले व्यक्तियों के लिए विहित आयु और शैक्षिक अहर्ताएं प्रोन्नत व्यक्तियों की दशा में लागू होंगी या नहीं।	परिवीक्षा की अवधि, यदि कोई हो।	भर्ती की पद्धति : भर्ती सीधे होगी या प्रोन्नति द्वारा या प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा तथा विभिन्न पद्धतियों द्वारा भरी जाने वाली रिक्तियों की प्रतिशतता
(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन द्वारा भर्ती की दशा में वे श्रेणियां जिनसे प्रोन्नति/प्रतिनियुक्ति/आमेलन किया जाएगा	(12)
प्रतिनियुक्ति :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 80,000/- रुपए (नियत) के शीर्ष वेतनमान में केंद्र में महानिदेशक पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।	

यदि विभागीय प्रोन्नति समिति है तो उसकी संरचना	भर्ती करने में किन परिस्थितियों में संघ लोक सेवा आयोग से परामर्श किया जाएगा
(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2. विशेष महानिदेशक	3* (तीन) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय	एच.ए.जी. + वेतनमान : 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा

(12)
प्रतिनियुक्ति :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 75500 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 80,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में विशेष महानिदेशक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

(13)	(14)
मंत्रिमंडल की नियुक्ति समिति द्वारा	लागू नहीं होता

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
3. अपर महानिदेशक	4* (चार) (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय	एच.ए.जी. (+) वेतनमान : 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 66.2/3% भारतीय पुलिस सेवा से प्रतिनियुक्ति द्वारा । ii) 33.1/3% केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल से प्रोन्नति द्वारा ।

(12)
प्रोन्नति द्वारा : केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में महानिरीक्षक (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रुपए में) के रैंक के ऐसे अधिकारी, जिन्होंने समूह ‘क’ में तीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें से तीन वर्ष की सेवा महानिरीक्षक के रैंक में होनी चाहिए।
<u>टिप्पण :</u>
(1) प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।
(2) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।
<u>प्रतिनियुक्ति द्वारा</u> :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो 67000 - (3% की दर से वार्षिक वेतनवृद्धि) - 79,000/- रुपए के एच.ए.जी. + वेतनमान में केंद्र में अपर महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

**टिप्पण :**

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)	(14)
<u>समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</u>	लागू नहीं होता
1. सचिव, गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. सचिव (कार्मिक), कार्मिक, लोक शिकायत और पेंशन मंत्रालय	— सदस्य
3. विशेष सचिव, गृह मंत्रालय	— सदस्य
4. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
5. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
4. महानिरीक्षक (ज्ञाधारण ड्यूटी)	27* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अननुसचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रुपए के साथ	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	i) 50% केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल कैडर से प्रोन्नति द्वारा । ii) 50% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों से प्रतिनियुक्ति द्वारा ।

(12)

प्रोन्नति द्वारा :

- (1) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे उप महानिरीक्षकों में से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रुपए में), जिन्होंने समूह 'क' में चौबीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें उप महानिरीक्षक के रूप में तीन वर्ष की सेवा सम्मिलित है।
- (2) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
- (3) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 10000 रुपए के साथ में केंद्र में महानिरीक्षक का पद धारण करने के लिए पैनल पर हैं।

टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

(13)

समूह "क" विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-

1. सचिव, गृह मंत्रालय
2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल
3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो अध्यक्ष द्वारा नामनिर्दिष्ट किया जाएगा)
4. विशेष सचिव/अपर सचिव, गृह मंत्रालय

(14)

लागू नहीं होता

- अध्यक्ष
- सदस्य
- सदस्य
- सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
5. उप महा-निरीक्षक (साधारण ड्यूटी)	161* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अननुसंचिवीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8900 रुपए	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	(i) 80% कैडर अधिकारियों (कमांडेंट) की प्रोन्नति द्वारा । (ii) 18% भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा । (iii) 2% सेवारत सेना अधिकारियों की प्रतिनियुक्ति द्वारा या सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों की पुनर्नियोजन द्वारा ।

## (12)

प्रोन्नति द्वारा :

- (क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसे कमांडेंट से (वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन ग्रेड वेतन 8700 रुपए में), जिन्होंने समूह ‘क’ में बीस वर्ष की सेवा की है, जिसमें कम से कम तीन वर्ष की सेवा कमांडेंट के रैंक में हो ।
- (ख) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल की ड्यूटी बटालियन में कमांडेंट के रूप में दो वर्ष की कमान ।
- (ग) महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।
- (घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परिवीक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो ।

टिप्पण :

प्रोन्नति के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्संक्षिप्त वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा ।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :— केंद्र या राजा सरकार पुलिस बल या संगठन में भारतीय पुलिस सेवा के ऐसे अधिकारी, जो वेतन बैंड 4 : 37400-67000, ग्रेड वेतन 8900 रुपए के साथ, पुलिस उप महानिशेषक या समतुल्य का पद धारण किए हुए हैं या उस रूप में नियुक्ति के लिए अनुमोदित हैं और ब्रिगेडियर के रैंक में सेवारत सेना अधिकारी।

#### टिप्पण :

प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्नीक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्नीक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नेयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

#### पुनर्नियोजन द्वारा :

ब्रिगेडियर के रैंक में सेवानिवृत्त सेना अधिकारियों के पुनर्नियोजन द्वारा।

#### टिप्पण :

पोषक प्रवर्ग के ऐसे विभागीय अधिकारी, जो प्रोन्नति की सीधी पंक्ति में है, प्रतिनियुक्ति पर नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। इसी प्रकार, प्रतिनियुक्त व्यक्ति प्रोन्नति द्वारा नियुक्ति के लिए विचार किए जाने के पात्र नहीं होंगे। (प्रतिनियुक्ति की अवधि, जिसके अन्तर्गत केंद्रीय सरकार के उसी या किसी अन्य संगठन/विभाग में इस नियुक्ति से ठीक पहले धारित किसी अन्य काड़र बाह्य पद पर प्रतिनियुक्ति की अवधि है, सेना अधिकारियों के लिए साधारणतया पांच वर्ष से अधिक नहीं होगी। भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के मामले में, प्रतिनियुक्ति की सामान्य अवधि, भारतीय पुलिस सेवा अधिकारियों के लिए समय-समय पर यथा संशोधित पदावधि नियमों के अनुसार, पांच वर्ष होगी। केंद्रीय सरकार के अधीन सिविल पदों के संदर्भ में पुनर्नियोजन के मामले में, अधिवर्षिता की आयु तक।

(13)	(14)
समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :—	लागू नहीं होता
1. सचिव/ विशेष सचिव (आई.एस.पी.), गृह मंत्रालय	— अध्यक्ष
2. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
3. किसी अन्य केंद्रीय पुलिस संगठन से एक महानिदेशक (जो आयोग द्वारा नामिनीदिष्ट किया जाएगा)	— सदस्य
4. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
5. कार्मिक और प्रशिक्षण मंत्रालय का एक नामनिर्देशिती	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
६. कमांडेट (साधारण छूटी)	281* (2010) *(कार्यभार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण केन्द्रीय सेवा, समूह “क”, राजपत्रित, अननुसंचितीय	वेतन बैंड 4 : 37400-67000, धन 8700 रूपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, दोनों के न हो सकने पर पुनर्नियोजन द्वारा। <u>टिप्पण :</u> केन्द्रीय सरकार विशिष्ट आदेश जारी करके पदों की कतिपय संख्या को भारतीय पुलिस सेवा/सेना अधिकारियों (सेवारत/सेवानिवृत्त) के समतुल्य रैंक के अधिकारियों के लिए विनिर्दिष्ट कर सकेगी।

(12)
<u>प्रोन्नति द्वारा :</u>
(क) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा सैकेंड-इन-कमांड, जिसने समूह ‘क’ में सोलह वर्ष की सेवा की है, जिसमें से पांच वर्ष की सेवा सैकेंड-इन-कमांड (वेतन बैंड 3 : 15600-39100, ग्रेड वेतन 7600 रूपए के साथ में) के रैंक में हो।
(ख) केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल की छूटी बटालियन में सैकेंड-इन-कमांड के रूप में दो वर्ष की सेवा।
(ग) महानिदेशक, केन्द्रीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर विहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।
(घ) जहां ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या पात्रता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा रहा हो, वहां उनके ज्येष्ठ व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाएगा परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा, अपेक्षित अर्हक या पात्रता सेवा के आधे से अधिक से या दो वर्ष से, इनमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या पात्रता सेवा पहले ही पूरी कर ली है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्नति के लिए अपनी परियोक्षा की अवधि सफलतापूर्वक पूरी कर ली हो।

**टिप्पण :**

**प्रोन्नति** के लिए न्यूनतम अर्हक सेवा की संगणना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा।

**प्रतिनियुक्ति द्वारा** :— सेना से कर्नल रैंक के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारी या अर्द्धसैनिक बलों में समतुल्य पद धारण करने वाले अधिकारी या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले राज्य पुलिस अधिकारी, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, की प्रतिनियुक्ति द्वारा।

**टिप्पण :**

**प्रतिनियुक्ति/आमेलन आधार नियुक्ति** के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे वेतन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुनर्रक्षित वेतन संरचना का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आधार पर की गई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तत्स्थानी ग्रेड वेतन या वेतनमान में की गई सेवा समझा जाएगा, सिवाय उस दशा के, जहां एक से अधिक पूर्व-पुनर्रक्षित वेतनमानों का सामान्य ग्रेड वेतन या वेतनमानों के साथ एक श्रेणी में विलय हो गया है, और जहां यह लाभ केवल उस पद (उन पदों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके (जिनके) लिए वह ग्रेड वेतन या वेतनमान बिना किसी उन्नयन के साधारण प्रतिस्थापन ग्रेड है।

**पुनर्नियोजन द्वारा :**

रक्षा सेवाओं से कर्नल रैंक में सेवानिवृत्त या निर्मुक्त होने वाले अधिकारियों या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनमान) अधिकारियों या पुलिस अधीक्षक या समतुल्य पद धारण करने वाले अर्द्धसैनिक बलों के अधिकारियों या राज्य पुलिस अधिकारियों, सशस्त्र पुलिस ड्यूटी का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिमानता दी जाएगी, के पुनर्नियोजन द्वारा।

**टिप्पण :**

सशस्त्र बल के ऐसे कार्मिकों के सबंध में भी विचार किया जाएगा जो एक वर्ष की अवधि के भीतर सेवानिवृत्त होने वाले हैं या रिजर्व में स्थानांतरित किए जाने वाले हैं। ऐसे व्यक्तियों को उस तारीख तक, जिस तारीख से उन्हें सशस्त्र बल से निर्मुक्त किया जाना है/अधिवर्षिता की आयु तक, प्रतिनियुक्ति के निर्बंधनों पर रखा जाएगा; तत्पश्चात उन्हें पुनर्नियोजन पर बने रहने दिया जा सकता है।

(सिविल पदों के संदर्भ में अधिवर्षिता की आयु तक पुनर्नियोजन) !

(13)	(14)
<b>समूह “क” विभागीय प्रोन्नति समिति निम्नलिखित से मिलकर बनेगी :-</b>	लागू नहीं होता
1. महानिदेशक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सचिव (पुलिस), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. महानिरीक्षक, केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. संकेत-इनकारांत (साधारण उच्चारी)	273* (2010) * (लार्योपाक के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण कोण्ठय सेवा, समृद्धि “क”, राष्ट्रपत्रित, अननुसारीय	वेतन वैड 3 : 15600-39100, घन 7600 रुपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा ।

(12)

स्मोल्टि लासा :

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन डैड 3 : 15600-39100, धन 6600 रुपये ग्रेड वेतन में ऐसा उप कमांडेंट, जिसने अपने 'एस' में यात्रा दर्ता की है। इसमें से पांच दर्ता की सेवा उप कमांडेंट के रूप में हो।

(२) एकी सिर्फ़ अद्या की हाली बहलियत में उप कामांडेट के रूप में दो वर्ष की सेवा।

१५. दो वर्षों के लिए यह नवा सामाजिक विविध प्रैग्निश मार्गशीलन/प्रशिक्षण पाठ्य होना चाहिए।

(१) जहाँ ऐसे कनिक व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अँडक या प्राचारा सेवा पूरी कर ली है, प्रान्ति के लिए दिवार किया या उसी हो, वहाँ उनके ज्ञान व्यक्तियों के संबंध में भी विवाद दिवार कामयापने तक तर जब कहा जाए कि उसके लिए वहाँ को ज़रूरी आवश्यक या प्राचारा सेवा, अपरिषट आँडक सेवा का आवे से अधिक से या यहाँ से, इनमें से कोई नहीं की या कोई नहीं कहा जाता है। और उत्तरों ने अपने ऐसे कनिक व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अँडक या प्राचारा सेवा प्राप्त की पूरी कर ली है, उनकी उच्चतर श्रेणी में प्रोत्तिष्ठित के लिए अपनी परिचयीकारी की अपेक्षा सफलतापूर्ण पूरी कर ली हो। यहाँ गये जिसके लिए ऐसे उपर्युक्त कानूनों के नामने में कैफियत रखी की अपेक्षा को मास किया गया सामाजिक या अधिकार भारतीय विद्या विद्यालयों में वर्तमान कानूनी विवादों को बढ़ाव देने की अपेक्षा की जाएगी।

तिम्ही ३

प्रोत्तिके लिए न्यूज़लैंड अर्थके सेवा की संगणना करने पर प्रयोगन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको छठे बेटन आयोग ने सिफारिशों पर आवासित पुरुषसंघ देता संबंध का वित्तार किया गया है। पूर्ण वित्तार किया गया पर की रही सेवा को उत्तम आयोग की सिफारिशों के आधार पर वित्तारित गतस्थानी प्रेड देता या उत्तमानुसार या यही गते रहे समझा जायगा।

(13)	(14)
समृद्धि का विभाग प्रान्ति समिति निम्नलिखित से चिलकर बनेगी :-	तापू नहीं होता
1. क्षेत्रीय रिजर्व पुलिस बल	— अधिक्षम
2. संयुक्त सचिव (प्रिविले), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिरीक्षक (कार्यालय), क्षेत्रीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. निवेशक (कार्यालय), गृह मंत्रालय	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
८. उप कम्हार्टेंट (सार्वजनिक इच्छी)	१२२* (2010) *(काठिनारांग के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।)	साधारण कोंडीवीय सेवा, समृद्ध “कॉ”, राजभाषी, अनुकूलियतीय	देवन हैड ३ : 15600-39100, दून 6800 लूप्पे थ्रेड देवन	दून	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्टि द्वारा, जिसके न हो सकें पर प्रतिनियुक्ति द्वारा, योगों के न हो सकें पर पुनर्नियोजन द्वारा।

(13)

28

(क) केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा साझायक कमांडेट, जिसने देतन वैंड 3 : 15600-39100, 5400 रुपए ग्रेड देतन के साथ में साझायक कमांडेट के रूप में छह वर्ष की सेवा की है।

(x) केंद्रीय रिजर्व प्रबंध बैंक की खाती बहालियत में सर्विस कंपनी के कंपनी कमांडर के रूप में दो वर्ष की सेवा ।

(३) प्रतिलिपि - दोनीं विर्तु-विकास या उपर्युक्त संस्कृत विविध स्रोतानि प्राप्त्यक्षम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए।

(५) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी ईंटक या पात्राता तेजा पूरी कर ली है, प्रान्तिक ये तिर विदारिया किया या जाए हो, वह उनके भवित्व व्यक्तियों के संबंध में भी विवाह विदारिया पर्युत हो तभी तब जब कि उत्तर धूम की नई ईंटक या पात्राता तेजा, अपेक्षित ईंटक या पात्राता तेजा को आधे विशेष के या दो या तीन विशेष के या तीन काम हो और उन्होंने उनमें ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी ईंटक या पात्राता तेजा पूर्ण कर ली है, तभी उत्तर धूम की नई प्रतियोगिता में प्रतिस्पदित कि तिर अपनी परिवर्तियों की अपेक्षा सफलतापूर्वक धूमी कर ली हो। परंतु डू और इसे अपनी कानेकेट के तारों में फैलाकर युक्त गांधीजी की वापराता या वापराता तेजा को यापाना, जो अपनी वापराता पूर्वक होते हैं वह काम का प्रतिनिवित करते हुए खोलीजीने में तरिक्य रख से तोड़ द्या है और जो अविलम्ब भावात्मक पूर्वक होते हैं वे अपनी प्रतियोगिताएँ करते हुए अपनी इस तरह स्थानों में से लिये जाते हैं कम से कम बाह्यी रूप भग लेने वाली दौलतों को घोषित किया हो, जो प्रशिक्षण संस्कारों में दीता जाता है।

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
7. संकेत- इन-कोर्ट (साधारण जुटी)	273* (2010) *(कार्डिनार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण कोर्डीय सेवा, समूह "क", राजनीति, अननुसंविदीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 7600 रुपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रोन्नति द्वारा ।

(12)

## प्रोन्नति द्वारा :

(क) कोंडीय रिजर्व पुलिस बल में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 6600 रुपए ग्रेड वेतन में ऐसा उप कमार्डेट, जिसने समूह "क" में यारह दर्ज की सेवा की है, जिसमें से पाच वर्ष की सेवा उप कमार्डेट के इक में हो ।

(ख) कोंडीय रिजर्व पुलिस बल की जुटी बटालियन में उप कमार्डेट के लम में दो वर्ष की सेवा ।

(ग) महानिवेदक, कोंडीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यिहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।

(घ) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या प्राप्ताता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जाता है, वहाँ उनके ज्ञानी व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाता है परंतु यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या प्राप्ताता सेवा, अधिकतर अर्हक या प्राप्ताता सेवा के आधे से अधिक से या दो या चार वर्ष से इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या प्राप्ताता सेवा पूरी कर ली है । परंतु यह और कि ऐसे उप कमार्डेट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया जाया समझा जाएगा, जो अदित भारतीय पुलिस खेलों में बत का प्रतिनिधित्व करते हुए खेल/क्रीड़ा में सक्रिय रूप से लगे हुए हैं और जो अदित भारतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतिवेशिताओं में प्रथम छह स्थानों में आए हैं वा जिन्होंने कम से कम काम साझीय स्तर पर पर आग लेने वाली टीमों के को-ऑफशिकल के लम में कार्य किया है, वा जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात है ।

## टिप्पणी :

प्रोन्नति के लिए न्यूतातम अर्हक सेवा की संप्राप्तान करने के प्रयोगन के लिए, जिसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस साल के अन्य समय के लिए जिसके छठे वेतन आयोग की सिकारियों पर आधारित पुरस्कृति वेतन संस्थानों का विस्तार किया गया है, पूर्ण तिथिभूत आधार पर की गई सेवा को उत्तर आयोग की सिकारियों के आधार पर विस्तारित तस्त्वान्वय ग्रेड वेतन या वेतनानन में गई ही सेवा समाजा जाएगा ।

(13)	(14)
समूह "क" विवाहिती प्रोन्नति समिति निन्मलिखित से विलक्षण बनेगी :-	लागू नहीं होता
1. महानिवेदक, कोंडीय रिजर्व पुलिस बल	— अध्यक्ष
2. संयुक्त सतीष (जुलिस), गृह भेत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिवेदक (कार्मिक), कोंडीय रिजर्व पुलिस बल	— सदस्य
4. निवेदक (कार्मिक), गृह भेत्रालय	— सदस्य

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
8. उप कमार्डेट (साधारण जुटी)	922* (2010) *(कार्डिनार के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है )	साधारण कोर्डीय सेवा, समूह "क", राजनीति, अननुसंविदीय	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, घन 6600 रुपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

(7)	(8)	(9)	(10)	(11)
लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	लागू नहीं होता	प्रान्नति द्वारा, जिसके न हो सकने पर प्रतिनिधित्वित द्वारा, दोनों के न हो सकने पर प्रान्नति द्वारा ।

(12)

## प्रोन्नति द्वारा :

(ल) कोंडीय रिजर्व पुलिस बल में ऐसा साधारण कमार्डेट, जिसने वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रुपए ग्रेड वेतन के साथ में ज्ञानात्मक कमार्डेट के लम में छह वर्ष की सेवा की है ।

(ख) कोंडीय रिजर्व पुलिस बल की जुटी बटालियन में चारिंस कंपनी के लमपीन कमार्डेट के लम में दो वर्ष की सेवा ।

(ग) महानिवेदक, कोंडीय रिजर्व पुलिस बल द्वारा समय-समय पर यिहित प्रोन्नति पाठ्यक्रम/प्रशिक्षण प्राप्त होना चाहिए ।

(घ) जहाँ ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अर्हक या प्राप्ताता सेवा पूरी कर ली है, प्रोन्नति के लिए विचार किया जा सका है, वहाँ उनके ज्ञानी व्यक्तियों के संबंध में भी विचार किया जाया पर्याप्त यह तब जब कि उसके द्वारा की गई ऐसी अर्हक या प्राप्ताता सेवा, अधिकतर अर्हक या प्राप्ताता सेवा के आधे से अधिक से या दो या चार वर्ष से इसमें से जो भी कम हो, कम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कनिष्ठ व्यक्तियों सहित, जिन्होंने ऐसी अर्हक या प्राप्ताता सेवा पूरी कर ली है । परंतु यह और कि ऐसे साधारण कमार्डेट के मामले में फील्ड सेवा की गुणात्मक अपेक्षा को माफ किया जाया समझा जाएगा, जो अदित भारतीय पुलिस खेलों में बत का विविध रूप से लगे हुए हैं और जो अदित भारतीय पुलिस खेलों में से किसी में आए हैं वा जिन्होंने कम से कम काम साझीय स्तर पर पर आग लेने वाली टीमों के को-ऑफशिकल के लम में कार्य किया है, वा जो प्रशिक्षण संस्थाओं में तैनात है ।

## दिल्ली :

प्रान्तिक के लिए न्यूनतम अक्षर सेवा की संगति करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उत्तर तारीख से, जिसको उड़े वेतन आयाग की सिफारिशें पर आवश्यक वेतन संसदन का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आयाग पर की गई सेवा को उड़े आयाग की सिफारिशों के आधार पर विस्तार तस्वीरी प्रैंड वेतन/वेतनान्तर में की गई सेवा समझा जाएगा।

प्रतिनिधित्व द्वारा :— सेवा से बेतर रैंक के या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनान्तर) के रैंक उल्लंघन में पांच वर्ष सेवा की मान्यता या समतुल्य या सहृदय पद दाण्ड करने वाले अधिकारी या पुलिस अधिकारी या समतुल्य पद दाण्ड करने वाले दाण्ड पुलिस अधिकारी, वेतन फैट फौर और वेतन फैट फौर की सरकार पुलिस डब्ल्यू का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिनान्तर दी जाएगी, जो वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रुपए प्रैंड वेतन से अन्यून का पद दाण्ड किए हुए हैं या छोटे गार्ड्स और विविध लाइंस दांगनाम में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ में पद दाण्ड किए हुए हैं या छोटे गार्ड्स और विविध लाइंस दांगनाम में वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 6600 रुपए ग्रेड वेतन के साथ में पद दाण्ड किए हुए हैं।

## दिल्ली :

प्रतिनिधित्व/आयाग नियुक्ति के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस तारीख से, जिसको उड़े वेतन आयाग की सिफारिशों पर आवश्यक पुर्वस्थित वेतन संसदन का विस्तार किया गया है, पूर्व नियमित आयाग पर की गई सेवा को उड़े आयाग की सिफारिशों के आधार पर विस्तारित तस्वीरी प्रैंड वेतन/वेतनान्तर में की गई सेवा समझा जाएगा, जिसके उत्तर दाना के, जहाँ एक से अधिक पूर्व-नियुक्ति वेतनान्तरीन वेतन/वेतनान्तर का सामान्य प्रैंड वेतन/वेतनान्तर के दाना का एक श्रेणी में सिफारिश हो गया है, और जहाँ एक यह लाइंस लेवल पर पद (उन बद्दों) के लिए विस्तारित होगा, जिसके विनाफे दिल्ली वेतन/वेतनान्तर में की गई साधारण प्रतिवर्षान्तर प्रैंड है।

## प्रतिनिधित्व द्वारा :

ऐसे सेवानिवृत्य या निर्वृत भेत्र के साथ अधिकारियों के, जो समतुल्य रैंक का प्राधेशिक सेवा के अधिकारी भेत्र या भारतीय पुलिस सेवा (ज्येष्ठ वेतनान्तर) का उत्तर रूप में चार वर्ष की सेवा या अर्द्धसालिक वर्तने के ऐसे अधिकारियों, जो पुलिस अधिकारी या समतुल्य पद दाण्ड किए हुए हैं, सरकार पुलिस डब्ल्यू का अनुभव रखने वाले अधिकारियों को अधिनान्तर दी जाएगी, के प्रतिनिधित्व द्वारा।

## [भाग II—खण्ड 3(i)]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
१. सहायक कमांडेट (साधारण डब्ल्यू)	2170* (2010) * कार्यालय के आधार पर परिवर्तन किया जा सकता है।	साधारण कैंक्रीट सेवा, समूह “क”, राजपत्र वेतन अननुसंधारी	वेतन बैंड 3 : 15600-39100, 5400 रुपए ग्रेड वेतन	चयन	लागू नहीं होता

## (7)

- (i) 20 से 25 वर्ष के बीच (सरकारी सेवकों, अनुसूचित जनजाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य प्रिष्ठे वर्गों, भूत्यापूर्व सेविकों और अन्य विशेष ग्राहकों के व्यक्तियों के लिए कैन्टीन सरकार द्वारा समय-समय पर जारी किए गए आदर्शों के अनुसार विस्तारित की जा सकती है।)
- (ii) आपूर्तीमा अवधारित करने के लिए निर्णयक तारीख वह होगी, जो सहायक कमांडेट (कैंक्रीट पुलिस बल) परीक्षा के विषयमें कैन्टीन सरकार द्वारा, समय-समय पर, उपबंधित की जाए।

## (8)

(i) आवश्यक :		
(क) विशेष भागीदारीया विशेषियालय से सनसक उपायि या समतुल्य।		
(छ) शारीरिक और विकासी भानदंड :		
कंचाई	पुलिस	कैंक्री
	165सेटीमीटर	157सेटीमीटर
सीन्स	81 सेटीमीटर (विना फुलाए)	लागू नहीं होता
	86 सेटीमीटर (फुलाने पर)	
अप	50 किलोग्राम	जंडाई के अनुसार, परंतु 46 किलोग्राम से कम नहीं हो।

## (13)

समूह “क” विभागीय प्रोनेन्टि सिन्हासित से विस्तार करने :-	(14)
1. महानिदेशक, कैंक्रीय रिजर्ज पुलिस बल	— अव्याप्त
2. संयुक्त सचिव (पुर्विच), गृह मंत्रालय	— सदस्य
3. उप महानिदेशक (कार्मिक), कैंक्रीय रिजर्ज पुलिस बल	— सदस्य
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय	— सदस्य

(2) दृष्टि (वर्षमे तहित या रहिए) :-

दृष्टि		निकट दृष्टि	
अच्छी आंख	खरब आंख	अच्छी आंख	खरब आंख
(लाई दृष्टि)		(लाई दृष्टि)	
6/6	6/12	जे. 1	जे. 2
या		या	
6/9	6/9		

अस्थीय के ऐं अंतर्ज्ञानु या सापाट या आँखों से विर्यक नहीं होना चाहिए और उनकी रेंगड़ी उच्च होनी चाहिए। अस्थीय का रेंगड़ी के लिए, इशाहन परीक्षण के साथ एन्डो-धीन सेन्ट्रल परीक्षण से परीक्षण किया जाएगा। उन्हें अच्छी मानविक और शारीरिक स्वस्थ्य का होना चाहिए और उनमें कर्मचार्यों के कुशल निर्वहन में रुचावट ऐसे करने वाली कोई शारीरिक विकृति नहीं होनी चाहिए।

(ii) बालकीय :

एन०सी०१० (ऐसनल लैडेट कोरो) "झी" प्रणालय पर या "सी" प्रणालय पर या आँखों होना चाहिए।

(iii) परीक्षा आदि की योजना या होणी, जो सहायक कमांडेट (कैंप्रीय पुलिस बह) परीक्षा के नियमों में केंद्रीय सरकार द्वारा, समय-समय पर, उत्तराधित की जाए।

(9)	(10)	(11)
लाई नहीं होता	दो वर्ष	(i) 50% संघ लोक सेवा आयोग द्वारा संज्ञानित सीधी भर्ती द्वारा।
		(ii) 33% प्रोन्टि द्वारा।
		(iii) 17% सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा। सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में कोई कमी प्राप्त नहीं भरी जाएगी।

[ भाग II—खण्ड 3(i) ]

भारत का राजपत्र : असाधारण

(12)

प्रोन्टि द्वारा :

(क) ऐसे सुवैध ये वर्षमे निरीक्षक, जिन्होंने श्रेणी में तीन वर्ष की निवामित सेवा की है और ज्येष्ठ निरीक्षण के डर पात्रक्रम समलालार्पक द्वारा किया गया है।

(ख) महानियन्त्रित वर्षमे लैडेट द्वारा समय-समय पर किया जाना चाहिए।

(ग) द्व्युटी बटालियन में सार्विक कांपनी के निरीक्षक के लिए सीधी वर्ष की सेवा।

(घ) जहां ऐसे कलिन्द व्यवितरणों के संबंध में, जिन्होंने अपनी अंडक या पात्रता सेवा पूरी कर की है, प्रोन्टि के लिए विचार किया गया हो, वह उनके ज्येष्ठ व्यवितरणों के संबंध में भी विचार किया जाएगा पर्यंत यह वर्ष जब जब कि उनके द्वारा की गई ऐसी अंडक या पात्रता सेवा के लिए अपनी से या दो वर्ष से, इनमें से की कम हो, काम न हो और उन्होंने अपने ऐसे कलिन्द व्यवितरणों सेवा की अपेक्षा द्वारा सेवा पहले सीधी पूरी कर की है, अगली उच्चतर श्रेणी में प्रोन्टि के लिए अपनी परीक्षणों की अवधि समलालार्पक पूरी कर की है: पर्यंत यह जी ऐसे विशेषक सुवैध में जैसे की योग्य सेवा की गया विचार जाएगा, जो अंडक आतीय पुलिस खेलों में बहल लैकिय लम्बे से लम्बे हुए हैं और जो अंडक आतीय पुलिस खेलों में अपनी प्रतियोगिताओं में प्रथम छह खालों में से किसी भी जाए तो या जिस्होंने कम से कम सामुद्री तरह पर प्रतियोगिता द्वारा जीती रही को कोच/प्रशिक्षक के लिए सीधी संभाला जाएगा।

टिप्पणी :

प्रोन्टि के लिए न्यूटून अंडक सेवा की संग्रामना करने के प्रयोजन के लिए, किसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस अंतरीक से, जिसको छह देवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुर्नियुक्ति देता सरकार का विचार किया गया है, पूर्ण नियामित आधार पर एक नई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के कानून पर विस्तृत तत्वावधि देता सरकार में की गई सम्मुद्र वर्षों पर प्रोन्टि के लिए त्यून में है या निरीक्षक या प्रोन्टि द्वारा, जो राज्य पुलिस में वृक्षिस उच्च अधीक्षक का पद धारण किए हुए हैं या ऐसे निरीक्षकों की प्रतियोगिता द्वारा या आयोगी भर्ती से वर्ष होनी चाहिए।

सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा द्वारा :

(क) ऐसा उप नियोक्ता/निरीक्षक, जिसने प्रशिक्षण सहित द्वारा वर्ष की सेवा पूरी कर की है, पात्र होगा।

(ख) सीमित विभागीय प्रतियोगिता परीक्षा में दैवतों के लिए उपर्याक्षी आयु यीमा पैसीस वर्ष होनी। अधिकारी शीक्षक अंडक उत्तराक नामी जो सहायक कमांडेट की सीधी भर्ती की क्षेत्री की लिए भी अंडक होती है।

(ग) सेवा का सच्च रिकार्ड।

(घ) सारीक आयोग कमांडेट वर्षीय भर्ती को लागू है।

प्रतिनियुक्ति द्वारा :

ऐसे अधिकारीयों की प्रतिनियुक्ति द्वारा, जो सेवा में कैफेन या साज्व में सहायक पुलिस अधीक्षक का या पुलिस उच्च अधीक्षक का पद धारण किए हुए हैं या ऐसे निरीक्षकों की प्रतियोगिता द्वारा या प्रोन्टि द्वारा, जो राज्य पुलिस में वृक्षिस उच्च अधीक्षक का सम्मुद्र वर्षों पर प्रोन्टि के लिए त्यून में है या निरीक्षक या प्रोन्टि द्वारा तत्वावधि देता सरकार का सम्मुद्र वर्षों पर प्रोन्टि के लिए त्यून में है या जिस्होंने कम से कम सामुद्री तरह पर प्रतियोगिता द्वारा जीती रही जाएगी।

टिप्पणी :

प्रतिनियुक्ति/प्रोन्टि आधार परिपुर्ति के प्रयोजन के लिए, जिसी अधिकारी द्वारा 1 जनवरी, 2006 से या उस अंतरीक से, जिसको छह देवन आयोग की सिफारिशों पर आधारित पुर्नियुक्ति देता सरकार का विचार किया गया है, पूर्ण नियामित आधार पर कोई सेवा को उक्त आयोग की सिफारिशों के कानून पर विस्तृत तत्वावधि देता सरकार में की गई सेवा सम्मुद्र वर्षों पर प्रोन्टि के लिए त्यून में है या निरीक्षक या प्रोन्टि द्वारा, जो राज्य पुलिस में वृक्षिस उच्च अधीक्षक का पद धारण किए हुए हैं या ऐसे निरीक्षकों की प्रतियोगिता द्वारा या आयोगी भर्ती से वर्ष होनी चाहिए।

(विवरक) लिए रहे गेंड देतान्/देतानमान दिना किसी उन्नयन के साथारण प्रतिश्वापन ग्रेड है।

#### पुस्तकालय द्वारा :

ऐसे सेवानिवृत्त या नियुक्त सेवा अधिकारियों को, जो कौटून की ईंक का पद धारण किए हुए हैं या सेवानिवृत्त पुलिस

अधिकारीयों द्वारा बल के अधिकारी, जो पुलिस उप अधिकारी समबुद्ध्य ईंक धारण किए हुए हैं, के पुनर्नियोजन द्वारा।

(13)

प्रो-नेतृत्व के लिए और सीधे भर्ती के प्रचिकरण का विचार करने के लिए समूह "क" विभागीय प्रो-नेतृत्व समिति :-	लागू नहीं होता
---	----------------

1. महानिदेशक, कैंप्रीय रिजर्व पुलिस बल
2. संयुक्त संघिय, गृह मंत्रालय
3. उप महानिदेशक (कार्यालय), कैंप्रीय रिजर्व पुलिस बल
4. उप सचिव/निदेशक, गृह मंत्रालय

(14)

कैंप्रीय पुलिस संगठन में सहायक कमांडर के रूप में सीधी भर्ती/अल्प सेवा कमीशन अधिकारियों के लिए सम्मिलित इच्छन ग्रेड	लागू नहीं होता
--	----------------

1. किसी कैंप्रीय अद्वैतिक बल का महानिदेशक
2. किसी कैंप्रीय अद्वैतिक बल का अपर महानिदेशक/ महानिदेशक
3. गृह मंत्रालय का एवं अधिकारी, जो उपसचिव की परिषद से नीचे का न हो
4. किसी कैंप्रीय अद्वैतिक बल का उप महानिदेशक

[का. सं. गो. VII. 1/2009-कार्यिक]

बहुण कुम्हर सदृ, निदेशक (कार्यालय)

#### MINISTRY OF HOME AFFAIRS

#### NOTIFICATION

New Delhi, the 10th August, 2010

G.S.R. 679(E).—In exercise of the powers conferred by section 18 of Central Reserve Police Force Act, 1949 (66 of 1949) and in supersession of the Central Reserve Police Force Group "A" (General Duty) Officers Recruitment Rules, 2001, except, as respects things done or omitted to be done before such supersession, the Central Government